HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 3167/2018

Yogendra Kumar

----Petitioner

Versus

Phoolchand Naveen Kumar H.u.f Gangapur

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Tara Chand Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. M K Sheoran, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

<u>Order</u>

<u>30/01/2023</u>

बकाया राशि जमा कराने की शर्त पर इस न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रा.लि. बनाम कंचन मेहता 2018 (1) S C C 560 पर आधारित होते हुए दिनांक 30.05.18 को विचारण न्यायालय की कार्यवाही प्रत्यर्थी/परिवादी की अनुपस्थिति में रोकी गयी थी। तत्पश्चात दिनांक 05.03.20 को इस याचिका के निस्तारण तक विचारण न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का आदेश दिया गया।

आईए–1/20 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2018 (16) S C C 299 Asian Resurfacing of Road Agency Pvt. Ltd. & Anr. V/s CBI के मामले में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार 06 माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

अंतरिम आदेश नहीं मानते हुए विचारण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है, अतः अंतरिम आदेश बढाया जावे।

पूछे जाने पर विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया गया कि मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रा.लि. बनाम कंचन मेहता में प्रतिपादित व्यवस्था से अलग नवीन न्यायिक दृष्टांत में व्यवस्था प्रतिपादित हुई है, जो प्रस्तुत कर व सभी तथ्य रखते हुए याचिका के अंतिम निस्तारण हेतु याची स्वंतत्र रहेंगे।

परिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रकरण अंतिम निस्तारण हेतु सूचीबद्ध हो तथा तब तक आई ए–1/20 स्वीकार किया जाकर पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश विस्तारित किया जाता है। यह अन्तरिम आदेश आगामी सुनवाई की तिथि पर स्वतः ही समाप्त हो जावेगा और आवश्यकतानुसार सुनकर अंतरिम/अंतिम आदेश पारित किया जावेगा।

पत्रावली दिनांक 20.02.23 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /78